


झारखंड के मुख्यमंत्री की अंतरिम ज़मानत याचिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में <u>प्रवर्तन निदशालय (ED)</u> ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की <u>अंतरिम ज़मानत</u> का वरिोध किया है।

मुख्य बदुि:

- ED के मुताबिक, हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिग/धन शोधन के अपराध के दोषी थे, जिसके लिये उन्हें जनवरी 2024 में गरिफ्तार किया गया था।
 अंतरिम ज़मानत किसी मामले के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से दी जाती है जब नियमित ज़मानत तुरंत प्राप्त नहीं की जा सकती।
 "अंतरिम ज़मानत" शब्द को आपराधिक प्रक्रिया संहति। (CrPC) में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।



भारत में जमानत और संबंधित प्रावधान

"जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक <mark>सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने पर बोझ से संबंधित है, सभी इस</mark> बात पर ज़ोर देते हैं कि जमानत का एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।"

-न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर

गिरफ्तारी के लिये संवैधानिक प्रावधान - अनुच्छेद 22: यह अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, हिरासत को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

- (अ) दंडात्मक हिरासत: न्यायालय में मुकदमे और दोषसिद्धि के पश्चात् किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपराध हेतू दंडित करना।
- (निवारक निरोध: न्यायालय द्वारा परीक्षण और दोषसिद्धि के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: जमानत को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन जमानती और गैर-जमानती अपराधों को परिभाषित करता है:

अपराध का प्रकार	जमानती	गैर-जमानती
■ CrPC के तहत परिभाषित	अनुसूची १ में उल्लिखित अपराध, या किसी अन्य कानून द्वारा जमानतीय अपराध	जमानती के अतिरिक्त कोई भी अपराध
■ जमानत देने की शक्ति	अधिकार के रूप में जमानत	न्यायालय/पुलिस का विवेक तथ्यों पर आधारित हो

जमानत बनाम पैरोल बनाम परिवीक्षा

जमानत	i	ौरोल	परिवीक्षा	
■ मुकदमे या अपील व प्रतीक्षा कर रहे प्रति की अस्थायी रिहाई, न्यायालय में उनकी उपस्थिति की सुनि! हेतु जमा राशि द्वारा	वादी की सज़ की छूट उदाहर श्चेतता आवश्य	क्ते को कारावास I से कुछ समय प्रदान की जाती है, ग के लिये, कुछ कताओं को पूरा	किसी अपराधी की सज़ा का निलंबन, किसी अधिकारी की निगरानी में समुदाय में रहने की अनुमति प्रदान करना	
■ न्यायाधीश द्वारा प्र	गदत्त पैरोल ब	गोर्ड द्वारा प्रदत्त	न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त	

भारत में जमानत के प्रकार

नियमित जमानतः पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का न्यायालय का आदेश

अंतरिम जमानतः अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिये आवेदन पर फैसला होने तक न्यायालय अस्थायी अनुतोष प्रदान करती है

अग्रिम जमानत: गिरफ्तारी को रोकने के लिये अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है

डिफॉल्ट जमानत: जब पुलिस निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में विफल रहती है

■ चिकित्सकीय जमानत: केवल चिकित्सा के आधार पर

जमानत रद्द करना - कुछ आधार पर

- यदि कोई व्यक्ति, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है
- जाँच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है
- साक्ष्यों से छेड़छाड़
- गवाहों को धमकाना, आदि



PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-cm-interim-bail-plea

